नेशनल लोक अदालत दिनांक : 08/04/2017

वादीगण सहित श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता। प्रतिवादी 01 एवं 02 सहित श्री डी.एस.गुर्जर अधि.। प्रतिवादी कमांक 03 पूर्व से एक पक्षीय। प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में उभय पक्ष द्वारा

प्रस्तृत राजीनामा पर विचार हेत् नियत है।

दिनांक : 15/03/2017 को वादीगण तथा प्रतिवादी कमांक 01 एवं 02 ने उनके अधिवक्तागण श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव एवं डी.एस.गुर्जर के साथ उपस्थित होकर उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित लिखित राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया था। वादीगण की पहचान श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता द्वारा तथा प्रतिवादी कमांक 01 एवं 02 की पहचान श्री डी.एस.गुर्जर अधिवक्ता द्वारा की गई है।

पूर्व नियत तिथि पर वादीगण जयनारायण, हरीओम एवं अनारश्री के राजीनामा कथन अंकित किये गये थे।

वादीगण के राजीनामा कथन एवं उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन का अवलोकन किया गया।

वादीगण ने उनके राजीनामा कथनों एवं राजीनामा में यह व्यक्त किया है कि उनका प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 से वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 3942 क्षेत्रफल 0.77 आरे, सर्वे कमांक 3943 क्षेत्रफल 1.13 आरे एवं सर्वे कमांक 3946 क्षेत्रफल 0.04 आरे कुल क्षेत्रफल 1.94 आरे स्थित ग्राम आलौरी का पुरा, मौजा-एण्डोरी, तहसील-गोहद के वादग्रस्त 1/2 भाग के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 01 सरोज एवं 02 उषा से राजीनामा हो गया है। उक्त राजीनामा बिना किसी भय, दबाब या प्रलोभन के स्वेच्छापूर्वक किया गया है। उक्त राजीनामा उसके द्वारा दिनांक 15/03/2017 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। राजीनामा एवं राजीनामा कथनों के अनुसार वादी कुमांक 01 जयनारायण एवं 02 हरीओम के पिता तथा वादी कुमांक 03 अनारश्री के पति श्री रामकरन द्वारा प्रतिवादी कमांक 01 एवं 02 सरोज एवं उषा के पक्ष में निष्पादित वादग्रस्त भूमि के विक्रय पत्र दिनांक : 23/12/2008 के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 01 सरोज एवं प्रतिवादी क्रमाक 02 उषा वादग्रस्त भूमि की स्वामी एवं आधिपत्यधारी रहेगी। उक्त विक्रय पत्र के अनुसार क्रयश्दा भूमि का नामांतरण कराये जाने में वादीगण को कोई आपत्ति नहीं होगी और वादग्रस्त भूमि से वादीगण का कोई संबंध नहीं रहेगा। वादीगण के

उनके राजीनामा कथनों में आगे यह कहना है कि राजीनामें के आलोक में अब वह अपना वाद चलाना नहीं चाहते। इसलिए उनका वाद इसी प्रास्थिति पर निरस्त किया जाये।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वेच्छया, बिना किसी भय दबाब या प्रलोभन के तथा स्वतंत्र सम्मित से किया गया प्रतीत होता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा संविदा विधि या किसी विधि के प्रावधानों के उल्लंघन में या विपरीत नहीं है। फलतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता हैं और उनका वाद उक्त राजीनामें के आलोक में वादग्रस्त भूमि सर्वे कमांक 3942 क्षेत्रफल 0.77 आरे, सर्वे कमांक 3943 क्षेत्रफल 1.13 आरे एवं सर्वे कमांक 3946 क्षेत्रफल 0.04 आरे कुल क्षेत्रफल 1.94 आरे स्थित ग्राम आलौरी का पुरा, मौजा—एण्डोरी, तहसील—गोहद के वादग्रस्त 1/2 भाग के संबंध में निरस्त किया जाता है।

उपरोक्तानुसार आज्ञप्ति निर्मित की जाये।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 15/03/2017, उनके राजीनामा कथन एवं इस प्रकरण की आज दिनांक : 08/04/2017 की आदेश पत्रिका आज्ञप्ति का अभिन्न भाग होगीं।

उभयपक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें।

अभिभाषक शुल्क म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के नियम 523 के अनुसार अथवा प्रमाणित किये जाने पर दोनों में से जो भी कम हो देय होगा।

प्रकरण का परिणाम व्यवहार वाद पंजी ''अ'' में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

01. के.सी.उपाध्याय अधिवक्ता (सदस्य) (पंकज शर्मा)

02. के.पी.राठौर अधिवक्ता (सदस्य) <u>पीठासीन अधिकारी लोक अदालत</u> गोहद, जिला–भिण्ड